न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-58/2014

1- मन्जू पुत्री नन्दलाल स्त्री रामस्वरूप जाति माली निवासी गोठड़ा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)

2- सीता पुत्री नन्दलाल स्त्री नन्दलाल स्त्री भंवरलाल जाति माली निवासी ईस्लामपुर तहसील व जिला झुन्झुनू (राज0

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- चन्दगीराम पुत्र गोपाल जाति माली निवासी डालमियों की ढाणी तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू ।

2- उदाराम पुत्र गोपाल (मृतक)

2/1- दुर्गादेवी पत्नी स्व0 उदाराम

2/2- मातादीन पुत्र स्व0 उदाराम

2/3- अमरसिंह पुत्र स्व0 उदाराम

2/4- हीरालाल पुत्र स्व0 उदाराम

2/5- बसन्ती पुत्री स्व0 उदाराम

2/6- मु0 गिन्ना पुत्री स्व0 उदाराम

3- सुगनचन्द पुत्र गोपाल

4- कमलादेवी बेवा बिरखुराम

5- बालूराम पुत्र बिरखूराम

6- बिहारीलाल पुत्र बिरखूराम

7- बहादूरमल पुत्र बिरखूराम

8- बाबूलाल पुत्र बिरखूराम

9- शान्ति पुत्री बिरखूराम

10-मोसमी पुत्री बिरखूराम

11-कान्ता पुत्री बिरखराम

12-रामजीलाल पुत्र नन्दलाल

13- पवनकमार पुत्र नन्दलाल

14- ओमप्रकाश पुत्र नन्दलाल

) समस्त जाति माली निवासीगण डालमियो की ढाणी तहसील सुरजगढ जिला झुन्झुनू ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16- इन्द्रसिंह शेखावत पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी सैदपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

17- हरिसिंह शेखावत पुत्र मलखानसिंह जाति राजपूत निवासी सैदपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू ।

18- प्रबन्ध, दी बैंक आफ बडौदा शाखा चिडावा तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

19- प्रबन्ध, पीएनबी शाखा चिडावा तहसील चिडावा जिला झुन्झुनू ।

20- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुरजगढ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 19-4-12 एवं 16-5-12
द्वारा उप खण्ड अधिकारी
चिडावा ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री विजयपाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री राजेश पूनिया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

3- श्री शिवनारायणसिंह एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट 4 से 10

निर्णय दिनांक- 23.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत धोषणात्मक विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं0-1 से 14 का पूर्वज गोपाल हुआ जिसकी खातेदारी की आराजी गत खसरा नं0 58, 59/1, 61/1, 61/1मि0 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 61/2 मि0 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 70 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 69/1 रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 23 बीघा 12 बिस्वाराजस्व रेकार्ड सम्वत 2012 से 2032 तक दर्ज है ।

गोपाल की मृत्यु होने पर गोपाल के पांचों पुत्र सन्तान वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2, प्रतिवादी सं0- 3 से 10 के पिता/पति बिरखूराम, प्रतिवादी सं0- 11 से 14 के पिता/पति नन्दलाल के नाम दर्ज रेकार्ड हुई । उक्त आराजी के नये खसरा नं0 139, 161, 162,, 163, 164, 83, 84, 85 कुल किता-8 कुल रकबा 5.84 हैक्टर स्थित है। जिसका 1/5 हिस्सा यानि कुल रकबा 1.17 हैक्टर हुआ जिसमें से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी सं0-15, 16 को 0.55 हैक्टर भूमि का बैचान कर दिया। जिसका नामान्तरकरण प्रतिवादी सं0 -15 व 16 के नाम दर्ज हो गया । उक्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 14 ने आपसी सहमति से काफी वर्षों पूर्व विभाजन कर लिया । जिसके अनुसार आराजी ख0नं0 139, 161, 162, 163 में वादी ने अपना हिस्सा 0.55 हैक्टर का बैचान कर दिया तथा 0.61 हैक्टर भूमि वादी को भूमि खसरा नं0 84 गै0मु0 कुआ में हिस्सा 1/5 व शेष रकबा ख0नं0 85 में सडक से लगता हुआ प्राप्त हुआ। जिस पर वादी काबिज काश्त है और उसी अनुसार विभाजन करवाने का अधिकारी है । जिसके लिये यह दावा पेश किया। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री पारित कर दी । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की अपील निम्न आधारो पर प्रश्त की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-2 से 20 को सुनवाई का अवसर नहीं देकर आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्घान्त के विपरित है ।दावा दिनांक 18-4-2012 को पेश हुआ जिस पर लिपिक की रिपोर्ट होकर दिनांक 19-4-2012 को पेश 0 हुई । अदालत मातहत ने अपीलान्ट एवं प्रतिवादीगण को बिना सुचना दिये बिना सुने प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जिसमें किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई । विभाजन प्रस्ताव भी मौके के विपरित राजस्थान टीनेन्सी बोर्ड आफ रेवेन्यू नियम-1955 के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना न कर भिजवाये गये हैं । अपीलान्ट को

अदालत मातहत में पक्षकार जानबूझकर नहीं बनाया गया । जिसके लिये अपीलांट ने अपील पेश करने के साथ धारा-96 सीपीसी एवं पक्षकार नहीं होने से निर्णय की जानकारी नहीं होने पर जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की है । इसके बाद भी दफा-5 अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश किया । अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 ने 1/5 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार अपीलान्टस् एवं रेस्पो० सं0-12 से 15 के पिता/पति नन्दलाल को माना है । इसके बाद भी अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये बिना सूचना दिये दावा पेश कर विधिक प्रक्रिया बिना अपनाये डिक्री करवा लिया। दावा दिनांक 18-4-2012 को पेश हुआ जिस पर लिपिक की रिपोर्ट होकर दिनांक 19-4-2012 को पेश हुई । दावा दिनांक 19-4-2012 को ही दर्ज किया तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 से 20 तक को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी अपीलान्ट के दादा गोपाल एवं उसकी मृत्यु के बाद गोपाल के पांचों पुत्रों के नाम दर्ज हुई है । जिसमें नकल जमाबन्दी सं0- 2056 से 2059, 2052 से 2055, 2048 से 2051 में अपीलांन्ट का पिता नन्दलाल सह खातेदार दर्ज है । जिसको दावा में पक्षकार नहीं बनाया अपीलान्ट नन्दलाल की पुत्रियां है। विवादित आराजी पैत्रिक है जिसमें अपीलांट का जन्म से ही हक हिस्सा है । अपीलान्ट विवादित आराजी का हितबद्ध पक्षकार है। जिन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिये था। अपीलान्ट अदालत मातहत मे पक्षकार नही होने से अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपीलान्ट की अपील अन्दर मियाद शुमार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में निर्णय विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पारित किया गया है ।अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है । अपीलान्ट शादी के बाद अपने ससुराल में ही रह रही है । विवादित आराजी से इनका कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है ।नन्दलाल के पुत्र रेस्पोडेन्ट सं0-12 से14 एवं पत्नी रेस्पोडेन्ट सं0-15 को पक्षकार बनाया गया नन्दलाल के हिस्से की आराजी पर इनका ही कब्जा रहा है जिनको पक्षकार बनाया गया है । विभाजन प्रस्ताव मौके के अनुसार तैयार कर भिजवाये गये हैं ।जिसमें भी अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है ।इस प्रकार अपीलान्ट का विवादित आराजी में किसी प्रकार से कोई हित प्रभावित नहीं है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी खारिज कर अपील को खारिज किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट सं0-4 से 10 ने बहस में कथन किया कि योग्य अदालत मातहत में दावा लिपिक की रिपोर्ट होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर उसी दिन बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुये अपना आदेश पारित किया है ।रेस्पोडेन्ट सं0-4 से 10 को किसी प्रकार का सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया । हमे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। बहस के समर्थन में 2015(4)डीएनजे (राज0) पेज-1442, आरआरडी 2009 पेज 378, आरआरडी 2000 पेज 170, आरआरटी 2011(1) पेज-640 एवं आरआरटी 2007(2) पेज 1233 पेश कर अदालत मातहत के आदेश को निरस्त करने का कथन किया ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में दावा दिनांक 18-4-2012 को पेश हुआ जिसकी रिपोर्ट होकर दिनांक 19-4-2012 को दावा दर्ज हुआ तथा उसी रोज प्रतिवादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जिसमें किसी भी विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई ।नकल जमाबन्दी सं0-2024 से 2027 में अपीलान्ट के दादा गोपाल, 2056 से 2059, 2052 से 2055, 2048 से 2051

में विवादित आराजी का अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-12 से 14 का पिता एवं रेस्पोडेन्ट सं0-15 का पति नन्दलाल सह खातेदार काश्तकार है ।अपीलान्ट का पिता सहखातेदार होने से अपीलान्ट का विवादित आराजी में हित निहित है। जिससे अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने से दफा-5 प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों पर विश्वास करते हुये अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार कर प्रस्तुत नजीरों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-4-2012 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 16-5-2012 खारिज की जाती है । तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 26-4-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय की एक प्रति अपील संख्या-59/2014 में शामिल की जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.3.2018 को सुनाया गया ।

23/3/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

सीकर